न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, मुख्यालय गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर
पीठासीन अधिकारी– सुदर्शन सिंह तोमर

क0सं0	पूर्व पत्रावली सं0	दर्ज दिनांक	वर्तमान पत्रावली सं0	दर्ज दिनांक	निर्णय दिनांक	कुल पृष्ठ
1	07/2024	01.07.2024	38/25 (2024/35)	16.01.2025	05.12.2025	1 लगायत 3

1 घीस्या सिंह उम्र 70साल पुत्र छीतरसिंह जाति राजपूत निवासी पलासोद हाल गंगापुर सिटी।
2 गोपालसिंह उम्र 50 साल पुत्र भोरूसिंह जाति राजपूत निवासी पलासोद हाल गंगापुर सिटी।
3 गोविन्दसिंह उम्र 37 साल पुत्र भोरूसिंह जाति राजपूत निवासी पलासोद हाल गंगापुर सिटी।
4 कमलाबाई उम्र 80 साल पुत्री छीतरसिंह पत्नि गणपतसिंह निवासी बाढ देहरी तहसील बामनवास।

—— अपीलार्थी

बनाम

1. भगवानसिंह पुत्र धनसिंह जाति राजपूत निवासी पलासोद तहसील बरनाला।
2. सरकार जरिये तहसीलदार तहसील बरनाला।
3. कम्मोदसिंह दत्तक पुत्र करण सिंह जाति राजपूत निवासी पलासोद तहसील बरनाला।
4. बैक ऑफ बडौदा शाखा पिपलाई जरिये प्रबन्धक। – रेस्पोडेन्ट

उपस्थित–
अपीलान्ट की ओर से– विद्वान अभिभाषक श्री इस्लाम खॉ
रेस्पोडेन्ट की ओर से :–विद्वान अभिभाषक श्री रामभरोसी जोशी।

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू.राजस्व अधिनियम,1956

निर्णय

यह अपील तहसील वजीरपुर के नामान्तकरण सं0 21 दिनांक 27.06.1990 वाके ग्राम पलासोद से अप्रसन्न होकर अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू.राजस्व अधिनियम, 1956 इस न्यायालय में पेश की गयी। उक्त नामान्तकरण सं0 21 दिनांक 27.06.1990 द्वारा ग्राम पलासोद में छितरसिंह बल्द भूरसिंह कोम राजपूत की खातेदारी भूमि छितरसिंह बल्द भूरसिंह के फोत हो जाने पर वारिसानों का नामान्तकरण तस्दीक किया है। उक्त नामान्तकरण से अप्रसन्न होकर अपील प्रस्तुत की गई। अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो0 तथा अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेन्ट की तलबी जरिये सम्मन की गई। रेस्पोडेन्ट सं0 1 जरिये अधिवक्ता उपस्थित, रेस्पोडेन्ट सं0 2 की ओर से पेरोकार सरकार , रेस्पोडेन्ट सं0 3 जरिये अधिवक्ता उपस्थित रेस्पोडेन्ट संख्या 4 बाबत सूचना उपस्थित नहीं होने के कारण रेस्पोडेन्ट सं0 4 के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। रेस्पोडेन्ट सं0 1 के

Signature Not Verified
Digitally signed by Sudarshan Singh
Date: 2025.12.10 19:48:40 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलेक्टर एव
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
गंगापुर सिटी

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी
मु0सं0 38/2025 घीस्या व अन्य बनाम भगवान सिंह व अन्य

अधिवक्ता उपस्थित नहीं होने के कारण अपीलार्थीगण व रेसपोडेन्ट सं0 3 के अधिवक्ता की बहस सुनी गई।

वकील अपीलार्थी ने दौराने बहस अपील में वर्णित तथ्यों की और ध्यान आकर्षित कर कथन किया है कि अपीलार्थी सं0 1 व 4 के पिता व अपीलार्थी सं0 2 व 3 के बाबा छीतरसिंह पुत्र भूरसिंह जाति राजपूत निवासी पलासोद की खातेदारी भूमि साबिक ख0नं0 15 रकबा 3 बीघा 15 बिस्वा ग्राम पलासोद में स्थित है। जिसके वर्तमान सेटलमेन्ट में नये नम्बर 39 रकबा 1.01 है0, 40 रकबा 0.36 है0 कायत किये है। अपीलार्थी के पिता छीतरसिंह के मरने के बाद दौराने राजस्व अभियान दिनांक 27.06.1990 को रेस्पोडेन्ट सं0 1 ने संरपच ग्राम पंचायत सुमेल से एक फर्जी उत्तराधिकार प्रमाण पत्र बनावकर जिसमें स्वयं को छीतरसिंह पुत्र भूरसिंह का वारिस बताते हुए विरासत का नामान्तकरण तहसीलदार बामनवास दिनांक 27.06.1990 को बिना जानकारी अपीलार्थीगण अपने नाम से तस्दीक करवा लिया। हाल ख0नं0 39 साबिक ख0नं0 14 मिन एवं 15 मिन को मिलकर बनाया है, ख0नं0 14 मिन कमोद दत्तक पुत्र करणसिंह की खातेदारी का है इसलिये ख0न0 39 रकबा 1.01 है0 में कमोदसिंह दत्तक पुत्र करणसिंह का 1/2 हिस्सा है। लेकिन कमोदसिंह दत्तक पुत्र करणसिंह ख0नं0 39 में हिस्सा 1/2 सहखातेदार है इसलिये उसे परफोर्मा डिफेन्डेन्ट बनाया गया है उसके खिलाफ कोई रिलिफ नहीं चाही है, साथ ही विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने उक्त अपील स्वीकार कर नामान्तकरण सं0 21 दिनांक 27.06.1990 निरस्त करने हेतु निवेदन किया है।

वकील रेस्पोडेन्ट सं0 3 ने अपीलार्थी की बहस का खण्डन करते हुए दौराने बहस निवेदन किया है कि अपीलार्थी द्वारा गलत तथ्यों के आधार पर उक्त अपील प्रस्तुत की गई है। ग्राम पंचायत सुमेल द्वारा छीतरसिंह पुत्र श्री भूरसिंह का उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र बनाया गया है। जिसमें अपीलार्थी सं0 3 को छीतरसिंह का एक मात्र वारिस होना अंकित किया गया है, साथ ही वकील रेस्पोडेन्ट सं0 3 ने उक्त अपील अस्वीकार कर नामान्तकरण सं0 21 दिनांक 27.06.1990 यथावत रखने हेतु निवेदन किया है।

उभय पक्षों की बहस सुनी गई तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी पक्ष द्वारा अपने हित में मतदाता सूची की पर्ची, आधार कार्ड की प्रति, पहचान पत्र की प्रति मय राशन कार्ड की प्रति प्रस्तुत की है तथा रेस्पोडेन्ट सं0 3 द्वारा अपने हित में ग्राम पंचायत सुमेल का उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है। रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत उत्तराधिकार प्रमाण पत्र में क्रमांक व दिनांक अंकित नहीं है तथा उत्तराधिकार प्रमाण पत्र बनाने हेतु ग्राम पंचायत [illegible] नहीं है। रेस्पोडेन्ट द्वारा अपने हित में किसी प्रकार का आधार कार्ड, दसवीं की मार्कशीट, मतदाता पहचान पत्र अथवा सिविल न्यायालय द्वारा प्रस्तुत उत्तराधिकार प्रमाण पत्र तथा ऐसा कोई दस्तावेज/साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है, जिससे स्पष्ट हो सके कि रेस्पोडेन्ट सं0 3 छीतरसिंह के ही वारिसान हों।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sudarshan Singh Tomar
Date: 2025.12.10 19:48:40 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलेक्टर एव
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
गंगापुर सिटी

अतः परिणामस्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाकर नामान्तकरण सं0 21 दिनांक 27.06.1990 ग्राम पलासोद निरस्त करके इस आदेश के साथ रिमाण्ड की जाती है कि अपीलार्थी स्वयं के खर्चे पर विधिक वारिसान का विवरण उल्लेख कर आपत्ति आमंत्रित करने हेतु स्थानीय दैनिक समाचार पत्र व एक राष्ट्रीय समाचार पत्र में प्रकाशित करेगा कि न्यायालय में उक्त विवादित आराजीयात के राजस्व रिकोर्ड में वारिसानों का नाम दर्ज होने है तथा प्रकाशीत समाचार पत्र की प्रति अदालत मातहत में प्रस्तुत करेगा। अदालत मातहत भू–राजस्व अभिधिनम 1956 की धारा 135 (2) के अर्न्तगत.तीस दिवस में आपत्ति आंमत्रण करेगा। उक्त प्रकरण में यदि कोई आपत्ति प्राप्त होती है तो गुणावगुण पर सम्यक् रूप से सुनवाई कर अथवा आपत्ति प्राप्त नहीं होने की दशा में एवं अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की वैधता का विनिश्चय कर पूर्व तस्दीक नामान्तकरण निरस्त कर नये सिरे से नामान्तकरण तस्दीक करने हेतु अदालत मातहत तहसीलदार स्वतंत्र है । यदि उक्त प्रकरण किसी अन्य न्यायालय में विचाराधीन हो या अन्य न्यायालय के स्थगन प्रतिकूल आदेश प्रचलित होने की दशा मे तहसीलदार पूर्व नामान्तकरण सं0 21 दिनांक 27.06.1990 को यथावत रखेगा तथा उक्त नामान्तकरण में कमोदसिंह दत्तक पुत्र करणसिंह के हिस्से की भूमि में किसी भी प्रकार का फेरबदल नहीं किया जावेगा।

निर्णय आज दिनांक 05.12.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुदर्शन सिंह तोमर)
अति0जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

Signature Not Verified

Digitally signed by Sudarshan Singh Tomar
Date: 2025.12.10 19:48:40 IST
Reason: SelfAttested